राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

अति महत्वपूर्ण

पत्रांक– 394 /241/NULM/तीन/2001(SM&ID)-II दिनांक– 26-5-16

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से सेवाएं लिये जाने हेतु निर्गत शासनादेश के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–374/2016/771/69–1–2016–14(56)/2016 दिनांक 20.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(छायाप्रति संलग्न)।**

उक्त शासनादेश के माध्यम से दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं ताकि शहरी आजीविका केन्द्र को आर्थिक रूप से सुदृढ बनाया जा सके साथ ही शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित शासन्नादेश के अनुपालन में विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यलय एवं शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर, सी0एम0एम0यू, डूडा, उ0प्र0।
3. समस्त सी0एल0सी0 संचालक संस्था प्रमुख/सी0एल0सी0 प्रबन्धक।
4. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

संख्या- 374 /2016/771/69-1-2016-14(56)/2016

प्रेषक

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 2016

विषयः दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) प्रदेश के नगरीय निकायों में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूड़ा)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा शहरी गरीबों के सामाजिक उत्थान हेतु संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत शहरों में असंगठित क्षेत्र के कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों को उत्प्रेरित करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत "शहरी आजीविका केन्द्रों" की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई/डूडा के नियन्त्रणाधीन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

2. शहरी आजीविका केन्द्रों में विभिन्न ट्रेडों के कुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों को पंजीकृत कर आवश्यक दैनिक गुणवत्ता आधारित सेवाएं उचित मूल्य पर दिये जाने की व्यवस्था है। इन केन्द्रों का संचालन व्यवसायिक माडल पर किया जा रहा है, ताकि केन्द्र आत्मनिर्भर होकर बेहतर सेवाएं निरन्तर उपलब्ध कराता रहे। शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों, उपक्रमों, प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाएं शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से ली जायँ, ताकि केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके एवं शहरी गरीबों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीबी उन्मूलन की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि समस्त विभागों, निगमों/संस्थानों आदि द्वारा आउटसोर्स आदि के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को सम्बन्धित शहरों में स्थापित शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से लिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

-2/

संख्या- 374 /2016/771(1)/69-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

19/5/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।